

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।

S.B. Civil Misc. Appeal No. 5401/2016

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री जयप्रकाश गुप्ता।

:: आदेश ::

08.05.2017

कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यर्थी संख्या-1 व 2 का नोटिस अदम तामील लौटकर प्राप्त हुआ है, अतः उसे पुनः नोटिस जारी हो।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी एक सप्ताह में नये पते के साथ पी एफ नोटिस पेश करे, जो पेश होने पर नोटिस आगामी चार सप्ताह में वापसी योग्य जारी हो।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

थावानी/-